न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— हरफूलसिंह यादव (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, धौलपुर

मुकदमा नम्बर :— 142 / 2015

उनवान प्रकरण

1—साहवसिंह पुत्र श्री लच्छीसिंह आयु करीव 50 साल जाति ठाकुर निवासी ग्राम परौआ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
2—नेकराम पुत्र श्री पूनाराम आयु करीव 40 साल जाति ठाकुर निवासी ग्राम परौआ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
3—राजेश पुत्र श्री सुरेश आयु करीव 44 साल जाति ब्राहम्ण निवासी तिवारी मौहल्ला सैपऊ जिला धौलपुर
4—अशोक पुत्र श्री छोटेलाल आयु करीव 42 साल जाति कुशवाह निवासी भरतपुर रोड सैपऊ जिला धौलपुर
5—तपेश कुमार परमार पुत्र श्री लायकसिंह जाति ठाकुर निवासी पुलिया चौराहा सैपऊ जिला धौलपुर
6—केशवसिंह पुत्र श्री अतरवीरसिंह जाति ठाकुर आयु करीव 35 साल निवासी कान्हा का नगला गुलावली तहसील बसेडी जिला धौलपुर
7—धीरेन्द्र पुत्र सत्येन्द्र आयु करीव 30 साल जाति ब्राहम्ण निवासी शास्त्र नगर सैपऊ जिला धौलपुर .... प्रार्थीगण

बनाम

1—गंगादेई पत्नि सेठ बहादुर जाति वैश्य निवासी गर्ग कॉलौनी थाने के पास सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
2—सेठ बहादुर पुत्र श्री ज्योतिप्रसाद जाति वैश्य निवासी गर्ग कॉलौनी थाने के पास सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
3—नत्थी पुत्र गोले जाति ठाकुर निवासी भरतपुर रोड सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
4—विपती पुत्र गोले जाति ठाकुर निवासी बाडी रोड सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
5—सत्यप्रकाश पुत्र श्री गोले जाति ठाकुर निवासी मढी बाडी रोड सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
6—उप खण्ड अधिकारी महोदय सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
7—नायव तहसीलदार तहसील सैपऊ जिला धौलपुर .... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) आवंटन नियम विरूद्व आवंटन तारीख 12.2.1976 वहक गोले पुत्र सरदार खसरा नम्बर 1295 बांके ग्राम सैपऊ न02

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

उपस्थिति :–

प्रार्थी की ओर से :– श्री सत्यप्रकाश कौशिक एडवोकेट
अप्रार्थी कमांक–1 व 2 की ओर से :– श्री केशवप्रसाद कमठान एडवोकेट
अप्रार्थी कमांक–3, 4, 5 की ओर से :– श्री जयसिंह परमार एडवोकेट
अप्रार्थी कमांक 6 व 7 की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 06.07.2018

प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) आवंटन नियम 1970 के तहत इन तथ्यों के साथ पेश किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 1295 रकवा 12 विस्वा गत खसरा नम्बर 895 रकवा 15 विस्वा कस्वा सैपऊ नम्बर–2 के राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज होकर रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग में आ रहा जिसका प्रारभं से ही उक्त खसरा नम्बर का उपयोग रास्ते के रूप में हो रहा है। उक्त खसरा नम्बर पर कल्यानसिंह पुत्र चोवसिंह का कभी कब्जा नहीं रहा न ही गोले पुत्र सरदार का रहा फिर भी उक्त खसरा नम्बर पर राजस्व कर्मचारियों से साज कर कल्यानसिंह व गोले द्वारा अपना अपना उक्त खसरा नम्बर के उत्तरी भाग पर 6 विस्वा पर कल्यानसिंह का कब्जा होना तथा आधे दक्षिणी भाग पर गोले का कब्जे के आधार पर मौके की स्थिति के विपरीत नियमन के आदेश कराये गये और उक्त गलत नियमन के आधार पर उक्त खसरा नम्बर को मौके की स्थिति के विपरीत दो भागो में 1295/1 व 1295/2 उत्तरी भाग का बनाया गया जिसका आधिपत्यधारी गलत तरीके से कल्यानसिंह को माना गया व 1295/2 का गलत तरीके से आधिपत्यधारी गोले को माना गया तदनुसार दोनों ने गैरखातेदारी व खातेदारी कानून व मौके के विपरीत हांसिल की गयी गोले की मृत्यु के उपरान्त उनके वारिसान द्वारा अपना दाखिल खारिज कराया गया। इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से जो खसरा नम्बर 1295/2 का आंवटन/नियमन गोले पुत्र सरदार के नाम से अप्रार्थी संख्या–6 द्वारा किया गया को प्रार्थना पत्र की आगामी मदों में वादग्रस्त खसरा नम्बर के नाम से सम्बोधित किया गया है इसी के बावत अनुतोष चाहा गया है। गोले की मृत्यु के उपरान्त उक्त वादग्रस्त खसरा नम्बर का दाखिला खारिज अप्रार्थी संख्या 3लगा05 द्वारा कराया गया जो कानून और मौके के विपरीत रहा जिसमें से गैर कानूनी तरीके से 2/3 हिस्सा विपती व सत्यप्रकाश द्वारा विकय पत्र तारीखी 22.09.1983 अप्रार्थी संख्या–2 के नाम किया गया लेकिन उक्त जायदाद पर सेठ बहादुर का कभी कोई कब्जा नहीं रहा शेष 1/3 भाग का वयनामा सेठ बहादुर के हक में नत्थी पुत्र गोले द्वारा वयनामा गलत तरीके से निष्पादित किया गया उक्त दोनो विकय पत्र बिना कब्जे के किये गये और सेठ बहादुर ने मौके की स्थिति के विपरीत अपने नाम 6 विस्वा का राजस्व रिकार्ड में दाखिल खारिज करा लिया। चूंकि उक्त इन्द्रांज व वयनामा बिना कब्जे के हुये इसलिये भविष्य में कोई पेचीदगी नहीं बडे इसलिये प्रारभं से ही शून्य व प्रभावहीन एवं बिना प्रतिफल व

अति0 जिला कलक्टर

कब्जे के बिना एक अभाषीय वयनामा स्वंय की पत्नि के नाम वादग्रस्त खसरा नम्बर का दिनांक 17.1.1990 को निष्पादित किया गया जिससे अप्रार्थी संख्या—1 को किसी प्रकार के अधिकार हांसिल नहीं होते है। उक्त वादग्रस्त खसरा नम्बर का अप्रार्थी संख्या—1 द्वारा भूमि रूपान्तरण मौके की स्थिति के विपरीत कराया गया जो वादीगण एवं आम जनता के विरूद्व प्रारंभ से ही शून्य एवं प्रभावहीन रहा उक्त भूमि रूपान्तरण बिना कब्जे के बिना मौके की रिपोर्ट किया गया इसलिये कल्यानसिंह के वारिसान द्वारा अप्रार्थीया संख्या—1 के भूमि रूपान्तरण के विरूद्व भू—प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय भरतपुर कैम्प धौलपुर के यहाॅ राजस्व अपील की जिसमें कब्जे व मौके के विपरीत राजीनामा द्वारा मौके की स्थिति को बदल कर राजीनामा किया गया जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण का मौके पर उसके कहे अनुसार कब्जा नहीं रहा नियमन आवंटन भूमि रूपान्तरण पृथक जगह पर कराया अपील में दूसरी जगह प्राप्त करने का कथन किया और इनके मध्य दीवानी कार्यवाही स्वामी घोषित करने बावत वादपत्र भी प्रस्तुत किया गया इसके उपरान्त एक दूसरे ने जगह बदल कर भूमि रूपान्तरण की अपील में राजीनामा कर जिस भू—भाग का भूमि रूपान्तरण हुआ उससे प्रथक जगह पर राजीनामा किया गया इन सब तथ्यों से सावित है कि अप्रार्थी संख्या—1 उससे पूर्व अप्रार्थी संख्या—2 व उससे पूर्व अन्य अप्रार्थीगण व उसके पूर्वजों का वादग्रस्त खसरा नम्बर पर कभी कब्जा नही रहा। वादग्रस्त खसरा नम्बर को रास्ता के रूप में उपयोग किया जा रहा है और आज भी रास्ता है जिसके सहारे प्रार्थीगण के मकानात भू—खण्ड स्थित है। भूमि रूपान्तरण की अपील में खसरा नम्बर 1295/2 को पश्चिम की ओर 1295/1 का पूर्व में होना तय किया जबकि आवंटन उत्तर व दक्षिण की ओर होना तय किया गया जबकि इस प्रकार का राजीनामा द्वारा प्रकरण निस्तारण करने का अधिकार एवं भूमि रूपान्तरण की अपील का निस्तारण करने का अधिकार भू प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील अधिकारी को नहीं रहा। प्रार्थीगण जिस जगह पर काबिज है उस जगह को अप्रार्थीगण अपनी कब्जा सुदा भूमि कह रहे है और प्रार्थीगण लम्बे समय से काबिज है तब आवंटी या उनके अन्तरिती या वारिस किसी प्रकार काविज नहीं रहे। खसरा नम्बर 1295/2 स्थित कस्वा सैपऊ नम्बर—2 आज भी गैरमुमकिन रास्ते के रूप में उपयोग किया जा रहा है इसलिये उक्त खसरा नम्बर की किस्म गैर कानूनी तरीके से गोले से साज कर बदली गयी जबकि गोले भूमिहीन भी नहीं था उसके पास पर्राप्त जमीन काश्त हेतु थी तथा उक्त कथित एलोटमेन्ट के बावत किसी प्रकार की कोई सार्वजनिक सूचना भी नहीं निकाली गई न ही आवंटन मौका देख कर किया गया तथा हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट पर आवंटन कर दिया जो गैर कानूनी था तथा अप्रार्थी संख्या—3 लगा05 के पूर्व पुरूष द्वारा या अप्रार्थीगण संख्या 3 लगा05 द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना की, न ही कमेटी का कोरम पूरा था, नहीं लैण्ड बैकेटं थी नहीं लैण्ड पर अलौटी का कब्जा था बल्कि वादग्रस्त जायदाद आवंटन के समय भी रास्ते से लगे खातेदारों द्वारा रास्ते का उपयोग किया जाता था और आज भी हो रहा है तथा नायव तहसीलदार की रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित है कि 3 वीधा 1 विस्वा पूर्व से आवंटी के पास होना अंकित किया है तथा नायव तहसीलदार सैपऊ से रास्ता बंद होने की रिपोर्ट फर्जी तरीके से करायी गयी है और नायव तहसीलदार सैपऊ

अति0 जिला कलक्टर

द्वारा गलत तरीके से पत्रावली आवंटन हेतु उप जिलाधीश धौलपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो गलत तरीके से स्वीकार की गयी। आवंटन के बाद आज तक वादग्रस्त आराजी पर कभी खेती नहीं हुयी और न ही मेंढ बन्दी हुयी और आज तक जमीन रास्ते के रूप में उपयोग में आ रही है। उक्त कथित एलोटमेन्ट(नियमन) दिनांकित 12.2.1976 को गोले के हक में नियमन किये जाने व भूमि की किस्म नहरी अधिनियम स्वीकार किये जाने पर भी रास्ते के रूप में उपयोग की जाती रही है लेकिन अप्रार्थी संख्या–1 उक्त वर्णित शून्य एवं प्रभावहीन आदेशों वयनामाओं भूमि रूपान्तरणों आदि की आड में वादग्रस्त रास्ते की जमीन पर कब्जा करना चाहते है। अर्सा करीव एक माह पूर्व धमकी दी कि हम रास्ते की जमीन पर कब्जा करेगें। जानकारी होने अवधि अन्दर प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र चूंकि नियमन की दिनांक से विलम्ब के पश्चात प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके लिये प्रथक से धारा 5 म्याद अधिनियम का पार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 12.2.1976 निरस्त फरमाया जाकर आवंटन/नियमन आदेश के बाद के इन्द्रांजात कलजद किये जाने और उक्त इद्राजों के आधार पर हुये इन्द्रांजो को शून्य एवं प्रभावहीन घोषित किये जाने और वादग्रस्त आराजी को गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम सैपऊ नम्बर–2 सम्बत 2067–2070 किता–तीन, मिलान क्षेत्रफल, रसीद दिनांक 18.3.73, नकल न्यायालय श्रीमान एम जे एम साहव धौलपुर उनवानी गंगादेई बनाम विजेन्द्र वगैरा, नकल ऑडरशीट तारीखी 3.4.04, नकल न्यायालय श्रीमान व्यवहार न्यायिक क0ख0 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट वाद संख्या 355/1993, नक्शा ट्रेस, नकल जमाबन्दी सैपऊ न0 2 सम्बत 2038 से 2041, 2051 से 2054 किता–दो, 2047 से 2050, 2051 से 2054 किता–दो पेश की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–1 व 2 की ओर से श्री केशव प्रसाद कमठान एडवोकेट एवं अप्रार्थी संख्या 3,4,5, की ओर से श्री जयसिह परमार एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 6 व 7 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये। अप्रार्थी संख्या 3लगा05 के अभिभाषक को जबाव पेश करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया लेकिन उनकी ओर से कोई जबाव पेश नहीं हुआ। अप्रार्थी संख्या 6 व 7 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने भी कोई जबाव पेश नहीं किया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र का जबाव पेश किया जिसमें उन्होने कथन किया है कि उपरोक्त विवादित आराजी ना तो कभी गैरमुमकिन के रूप में अंकित राजस्व अभिलेख रही और ना उक्त भूमि का उपयोग व उपभोग किसी रूप में रास्ते के रूप में किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया। भूमि पर कल्याणसिंह एवं गोले का अतिकमी के रूप में अधिपत्य दीर्ध काल से रहा ऐसी अवस्था मे उनके देरीना अधिपत्य को स्वीकार करते हुये उपरोक्त भूमि का नियमन विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा किया गया। उक्त आदेशों के विपरीत लगभग 40 वर्ष के उपरान्त वर्तमान आवेदन प्रस्तुत किया गया है विलम्ब हेतु कोई यथेष्ठ कारण अंकित आवेदन नहीं है ऐसी अवस्था में नियमन एवं

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

वर्तमान खातेदारी को वर्तमान आवेदन के आधार पर निरस्त कराया जाना विधि सम्मत नहीं है। राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय भरतपुर के आदेश दिनांक 7.9.2001 को निरस्त कराये बिना वर्तमान आवेदन के आधार पर नियमन निरस्त किया जाना विधि सम्मत नहीं है। जो नियमन कल्याणसिंह एवं गोले के पक्ष में हुये उनके आधार पर राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भूमि का परिर्वतन कृषि भूमि से आवासीय प्रयोजनार्थ आवश्यक प्रीमियम राशि जमा कराने के उपरान्त स्वीकार किये को वर्तमान आवेदन के आधीन निरस्त कराया जाना सम्भव नहीं है। भूमि में किस्म परिवर्तन के आदेश राज्य सरकार के विरूद्व प्रभावी है। सक्षम अधिकारियों द्वारा जो भूमि का रूपान्तरण स्वीकार किया गया वह पक्षकारों को स्वीकार नहीं रहा जिससे असन्तुष्ट होकर कल्याणसिंह द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के यहॉ अपील प्रस्तुत की गई। अपील के अन्तर्गत राजीनामा पक्षकारान हुआ और राजीनामा के आधार पर अपील का निस्तारण करते हुये डिक्री पारित की गई। उक्त डिक्री को वर्तमान आवेदन के माध्यम से निरस्त नहीं किया जा सकता। गंगादेवी के आधिपत्य एवं स्वामित्व की भूमि जो विवादित है, पर प्रार्थीगण एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा अपने पक्ष में कराये विक्रय पत्रों में दक्षिण की ओर भरतपुर सडक अंकित कर वादिया के अधिपत्य स्वामित्व की भूमि पर अधिपत्य कर निर्माण कार्य कराये जबकि उक्त सडक के उत्तर की तरफ खसरा नम्बर 1296 के दक्षिण एवं खसरा नम्बर 1318 के पश्चिम में वादिया के स्वामित्व की भूमि रही प्रार्थीगण एव अन्य व्यक्तियों द्वारा वादिया की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर गंगादेवी द्वारा उनके विरूद्व वाद संख्या 355/1993 गंगादेवी बनाम बिजेन्द्र आदि न्यायालय श्रीमान एम जे एम धौलपुर में स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जिसमें कल्याणसिंह के उत्तराधिकारीगण द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर राजीनामा अनुसार जो निर्णय एवं डिक्री पारित की उसके अनुसरण में न्यायालय श्रीमान एम जे एम धौलपुर में राजीनामा प्रस्तुत हुआ जिसके अनुसार विवादित भूमि जो पूर्व में पूरव—पश्चिम रही को उत्तर की ओर गंगादेवी एवं दक्षिण की ओर कल्याणसिंह की भूमि स्वीकार करते हुये तस्दीक कराया गया जिसे न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया। चूंकि वादिनी गंगादेवी द्वारा वाद गोले एवं कल्याणसिंह के मध्य जो नियमन पूरव—पश्चिम हुआ के आधार पर प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा उक्त भूमि उत्तर दक्षिण किये जाने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो न्यायालय द्वारा स्वीकार हुआ। वादिनी द्वारा उक्त वाद को पुनः न्यायालय श्रीमान जिला न्यायाधीश धौलपुर में गंगादेवी बनाम बिजेन्द्र आदि प्रस्तुत किया जो अन्तरित होकर न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रेक संख्या—1 धौलपुर द्वारा मूल वाद संख्या 81/2005 दिनांक 13.1.2009 को निर्णित किया जाकर वादिनी को विवादित भूमि का स्वामी एवं अधिपत्यधारी घोषित किया गया और वादिनी की जमीन को अंश बताते हुये जो विक्रय पत्र प्रार्थीगण एवं अन्य व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित किये गये है उनसे वादिनी प्रतिबन्धित नहीं है तथा उक्त वाद के सभी प्रतिवादीगण द्वारा जो निर्माण कार्य वादिनी की भूमि पर किया गया उसे तुडवाया जाकर भौतिक कब्जा दिलाये जाने हेतु वाद डिक्री किया गया। निर्णय न्यायालय श्रीमान सिविल जज धौलपुर वमुकदमा श्रीमती गंगादेवी बनाम बिजेन्द्र आदि एवं दीवानी प्रकरण श्रीमती गंगादेवी बनाम बिजेन्द्र आदि

अति0 जिला कलक्टर

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रेक संख्या–1 धौलपुर वाद कमांक 81/2005 सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश है। दीवानी न्यायालय द्वारा पारित आदेश बहूमूल्य एक सम्मान किये जाने योग्य निर्णय एवं आदेश है जिनके अस्तित्व में रहते हुये वर्तमान प्रकरण में विचार किया जाना किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थीगण ने अपने जबाव के समर्थन में फोटोप्रति पटटा भूमि रूपान्तरण गंगादेवी, फोटोप्रति निर्णय आर ए ए दिनांक 7.9.2001, फोटो प्रति प्रार्थना पत्र राजीनामा गंगादेवी बनाम बिजेन्द्र न्यायालय एम जे एम मय मानचित्र, फोटोप्रति निर्णय दीवानी वाद संख्या 81/05 गंगादेवी बनाम बिजेन्द्र आदि न्यायालय ए डी जे दिनांक 13.9.2009, फोटोप्रति रिपोर्ट कमिश्नर मय मानचित्र वाद 81/05, फोटोप्रति अपील माननीय उच्च न्यायालय, पेश किये हैं।

ततपश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। वहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज होकर रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग में आ रही है। उक्त खसरा नम्बर पर कल्यानसिंह पुत्र चोवसिंह का कभी कब्जा नहीं रहा न ही गोले पुत्र सरदार का रहा जबकि गोले भूमिहीन भी नहीं था उसके पास पर्याप्त जमीन काश्त हेतु थी तथा उक्त कथित एलोटमेन्ट के बावत किसी प्रकार की कोई सार्वजनिक सूचना भी नहीं निकाली गई न ही आवंटन मौका देख कर किया गया तथा हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट पर आवंटन कर दिया जो गैर कानूनी था तथा अप्रार्थी संख्या–3 लगा05 के पूर्व पुरूष द्वारा या अप्रार्थीगण संख्या 3 लगा05 द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की, न ही कमेटी का कोरम पूरा था, नहीं लैण्ड बैकेटं थी नहीं लैण्ड पर अलौटी का कब्जा था बल्कि वादग्रस्त जायदाद आवंटन के समय भी रास्ते से लगे खातेदारों द्वारा रास्ते का उपयोग किया जाता था और आज भी हो रहा है आवंटन के बाद आज तक वादग्रस्त आराजी पर कभी खेती नहीं हुयी और न ही मेंढ बन्दी हुयी और आज तक जमीन रास्ते के रूप में उपयोग में आ रही है। उक्त कथित एलोटमेन्ट(नियमन) दिनांकित 12.2.1976 को गोले के हक में नियमन किये जाने व भूमि की किस्म नहरी अधिनियम स्वीकार किये जाने पर भी रास्ते के रूप में उपयोग की जाती रही है लेकिन अप्रार्थी संख्या–1 उक्त वर्णित शून्य एवं प्रभावहीन आदेशों वयनामाओं भूमि रूपान्तरणों आदि की आड में वादग्रस्त रास्ते की जमीन पर कब्जा करना चाहते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस में जबाव में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि आवंटन दिनांक 12.2.1976 को हुआ जिसके विपरीत वर्तमान आदेश 26.9.2015 को प्रस्तुत किया गया है जो 40 वर्ष की कालावधि के उपरान्त अधिकार खातेदारी प्राप्त किये जाने के उपरांन्त किया गया ऐसी अवस्था में वास्ते निरस्ती करने आवंटन नितान्त विल्म्ब एवं अधिकार खातेदारी प्रदत्त किंए जाने के परिणामस्वरूप पोषणीय नहीं है। जो अधिकार खातेदारी प्राप्त हुए उनका निरस्तीकरण नामान्तकरण निरस्त कराये बिना निरस्त किया जाना विधि सम्मत नहीं है।

अति0 जिला कलक्टर

राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.9.2001 के विपरीत रेफरेन्स करने हेतु कलेक्टर समक्ष नहीं है। उनके द्वारा रैफरेन्स किया जाना क्षेत्राधिकार के बाहर है ऐसी अवस्था में आवेदन आवेदकगण निरस्त किये जाने योग्य है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कलक्टर के आधीन नहीं है। राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय भरतपुर के आदेश दिनांक 7.9. 2001 को निरस्त कराये बिना वर्तमान आवेदन के आधार पर नियमन निरस्त किया जाना विधि सम्मत नहीं है। जो नियमन कल्याणसिंह एवं गोले के पक्ष में हुये उनके आधार पर राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भूमि का परिर्वतन कृषि भूमि से आवासीय प्रयोजनार्थ आवश्यक प्रीमियम राशि जमा कराने के उपरान्त स्वीकार किये को वर्तमान आवेदन के आधीन निरस्त कराया जाना सम्भव नहीं है। भूमि में किस्म परिवर्तन के आदेश राज्य सरकार के विरूद्व प्रभावी है उनके विरूद्व आचरण करने से राज्य सरकार प्रतिबन्धित है। सक्षम अधिकारियों द्वारा जो भूमि का रूपान्तरण स्वीकार किया गया वह पक्षकारों को स्वीकार नहीं रहा जिससे असन्तुष्ट होकर कल्याणसिंह द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के यहॉ अपील प्रस्तुत की गई। अपील के अन्तर्गत राजीनामा पक्षकारान हुआ और राजीनामा के आधार पर अपील का निस्तारण करते हुये डिक्री पारित की गई। उक्त डिक्री को वर्तमान आवेदन के माध्यम से निरस्त नहीं किया जा सकता विधिक प्रावधानों के आधीन सम्भव नहीं है। निर्णय न्यायालय श्रीमान सिविल जज धौलपुर वमुकदमा श्रीमती गंगादेवी बनाम बिजेन्द्र आदि एवं दीवानी प्रकरण श्रीमती गंगादेवी बनाम बिजेन्द्र आदि न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रेक संख्या–1 धौलपुर वाद क्रमांक 81/2005 सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश है। दीवानी न्यायालय द्वारा पारित आदेश बहूमूल्य एक सम्मान किये जाने योग्य निर्णय एवं आदेश है जिनके अस्तित्व में रहते हुये वर्तमान प्रकरण में विचार किया जाना किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है। वर्तमान आवेदन के आवेदकगण दीवानी न्यायालयों के निर्णय एवं माननीय उच्च न्यायालय में अपील के विचाराधीन रहते हुए वैमनस्य के आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। जो नियमन भूमि गोले के पक्ष में है उसे निरस्त कराये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया नियमन गोले एवं कल्याणसिंह के पक्ष में हुआ कल्यानसिंह के नियमन को न तो चुनौती दी जा रही है न उसे निरस्त कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है ऐसी अवस्था में आवेदन द्वेषपूर्ण है। उन्होने अपने तर्को के समर्थन में आर आर डी 2015 पेज 556, आर आर डी 2013 पेज 582, आर आर डी 2015 पेज 536, आर आर टी 2015 पेज 110 के न्यायिक नजीरें पेश कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्बत 2038–41 में विवादित आराजी गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज है। नक्शा ट्रेस के अनुसार भी विवादित आराजी रास्ते के रूप में ही प्रकट हो रही है। नायव तहसीलदार सैपऊ द्वारा इसी आराजी के बावत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत जारी नोटिसों में भी विवादित

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

आराजी की किस्म रास्ता अंकित है तथा उस पर नायव तहसीलदार का अंकन है कि बाद तब्दीली किस्म नियमन योग्य है। दिनांक 12.2.1976 को यह पत्रावली सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत हुई जिसमें जमीन की किस्म नहरी अलिफ स्वीकार करते हुये विवादित आराजी का नियमन गोले के नाम कर दिया गया। उक्त दस्तावेजों के अबलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी की किस्म गैर मुमकिन रास्ता थी जिस बावत ही गोले के विरूद्व 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई तथा उसी पत्रावली पर भूमि की किस्म बदलते हुये उसका नियमन कर दिया गया। प्रथम तो नायव तहसीलदार या सलाहकार समिति को भूमि की किस्म बदलने का अधिकार नहीं था। द्वितीय आवंटन सलाहकार समिति में नायब तहसीलदार का कोई स्थान नहीं है तथा नायव तहसीलदार द्वारा आवंटन ब नियमन नहीं किया जा सकता। भूमि की किस्म राज्य सरकार द्वारा बदली गई हो ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है। अतः अप्रार्थीगण यह साबित नही कर पाये है कि विवादित आराजी की किस्म राज्य सरकार द्वारा बदली गई हो। गैर मुमकिन रास्ता की भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है जिसका आवंटन नियमन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के आवंटन या नियमन प्रारम्भ से ही शून्य होते है। जहॉ तक नियमन पश्चात खातेदारी प्रदान करने, हस्तांन्तरण व रूपान्तरण का प्रश्न है यह समस्त कार्यवाही शून्य नियमन आदेश के अधीन ही की गई है तथा कानून की यह मान्यता है कि यदि कोई आदेश प्रारम्भ से ही शून्य व अवैध है तो उसके अधीन की गई सभी अग्रिम कार्यवाही भी शून्य तथा अवैध होती है। उपरोक्त विवेचनानुसर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 14(4) स्वीकार किया जाकर आरांजी खसरा नम्बर 1295/2 बांके ग्राम सैपऊ नम्बर–2 तहसील सैपऊ का गोले पुत्र सरदार के नाम दिनांक 12.2.1976 को किया गया आवंटन/नियमन निरस्त किया जाता है और उक्त वादग्रस्त आराजी को गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सैपऊ को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरफूल सिंह यादव)
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)